नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
भारत सरकार
बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) -201309
दूर. 0120-2405969,70,71,72,73, फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of School Education & Literacy)
Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA (U.P.)- 201309
Tel. 0120-2405969,70,71,72,73, Fax : 0120-2405182
वेबसाइट/Website : www.nvshq.org

सं.सं. 3-1/2017-न.वि.स.(हि.प्र.) 1278

दिनांक: 16.02.2017

सेवा में,

1. उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

2. प्राचार्य,
सभी जवाहर नवोदय विद्यालय
(नविस की वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: हिंदी समाचार पत्रों में केवल हिंदी के विज्ञापन प्रकाशित करने संबंधी

महोदय/महोदया,

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी समाचार पत्रों में केवल हिंदी के विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का प्रावधान है, परन्तु कुछ कार्यालयों द्वारा इस नियम के उलंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया गया है।

अतः निदेशित किया जाता है कि सभी संभागीय कार्यालयों के उपायुक्तों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी समाचार पत्रों में केवल हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाने चाहिए न कि अंग्रेजी में। राजभाषा विभाग द्वारा यह भी सलाह दी गई है कि हिंदी अखबारों में हिंदी के विज्ञापन तथा अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेजी के विज्ञापन दें। यदि अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी का विज्ञापन दिया जाता है तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दें कि "अधिसूचना/विज्ञापन संबंधी परिपत्र का हिंदी रूपांतर .... वेबसाइट पर उपलब्ध है (पूर्ण लिंक दिया जाए)"।

भवदीय,

राजीव कुमार सिंह

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त (स्था-I)

प्रतिलिपि:- वेबमास्टर, न.वि.स. - कृपया इसे न.वि.स., मुख्यालय की वेबसाइट पर डालें।